

C/N 2017/2022

24/01/24

अकील वादी द्वारा पत्रावली तलब किये जाने बाद
 सापक्षपेश के करने के कारण पत्रावली नियत तिथि से
 रोक पेश हुई। वादी एवं अकील वादी द्वारा सापक्ष
 किट्टे किये जाने बाबत पेश कर निकट किया
 कि उक्त तलब वादी आने पलाना नहीं पाएगा
 है, अतः बाद पत्र को किट्टे किये जाने की अनुमति
 तदान करे। अतः अकील वादी द्वारा पेश
 सापक्ष वास्तु बाद किट्टे किया जाने बाबत
 अधिकार किया जाता है एवं वादी के बाद को
 इसी स्तर पर जारी किया जाकर पत्रावली
 प्रेषण श्रुमार होकर पत्रावली नम्बर से
 कम हो।

उपरवण्ड अधिकारी
 किशनगढ़ (अजमेर)

अनवर अली
 J. K. Singh
 by me
 [Signature]